इम्प्रेशन प्रिन्टस

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त दिल्ली-प्रथम

24 अगस्त, 2005

(एस.एन. वरियावा और तरूण चटर्जी जे.जे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944:

धारा 2 (एफ)- विनिर्माण - टेरिफ मद 6301 - अधिसूचना संख्या 65/87 - सी.ई. दिनांक 01.03.1987 - उन्मुक्ति अन्तर्गत - निर्धारिती विनिर्माणकर्ता था। छपी हुई पलंग की चद्दरों, पलंग के कवरों और तकिये के कवरों का - निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों उससे इस सामान पर शुल्क और शास्ति ना ली जाये - अधिसूचना के अन्तर्गत इन सामानों पर 'शून्य शुल्क दर थी ''यदि ये बिना शक्ति के प्रयोग के बनाई जाये' - अतः निर्धारिती ने अधिसूचना के अन्तर्गत छूट के लाभ का दावा किया। निर्धारिती के दावे को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि छपी हुई चद्दरें, बिस्तर के कवर और तकिये के कवर बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने रंग मिश्रण मशीन की मदद से रंग मिलाया था जो शक्ति की सहायता से संचालित होती थी - इसलिये निर्धारिती पर शास्ति और शुल्क अधिरोपित किया गया था - निर्धारित किया गया: यदि शक्ति

का प्रयोग बहुत सी प्रक्रियाओं के अधीन रहने वाली प्रक्रिया में जिसकी की आवश्यकता कच्चे माल को तैयार सामान में बदलने को होती है तो विनिर्माण शक्ति की सहायता से किया जाना माना जायेगा- अतः निर्धारिती अधिसूचना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है - शुल्क और शास्ति सही अधिरोपित की गई - केन्द्रीय उत्पाद टेरिफ अधिनियम 1985।

शब्द एवं वाक्यांश:

"विनिर्माण"-अर्थ-धारा 2(एफ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के परिपेक्ष्य में।

अपीलार्थी - निर्धारिती छपी हुई पलंग की चद्दरों, पलंग के कवरों और तकिये के कवरों का विनिर्माण करता था। निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उससे क्यों ना उक्त सामानों पर शुल्क और शास्ति वसूली जाये। निर्धारिती ने दावा किया कि उक्त सामानों पर 'शून्य शुल्क अधिसूचना संख्या 65/87 - सी.ई. 01.03.1987 के अन्तर्गत देय है। अतः निर्धारिती अधिसूचना के अन्तर्गत लाभ का हकदार है। अतः वह शुल्क व शास्ति के लिये दायी नहीं है। उक्त सामान टेरिफ आईटम संख्या 6301 के अंतर्गत है जिसमें "निर्मित कपडा वस्तुऐं" शामिल थी और उस पर' ' "

जाये"।

निर्धारिती का दावा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि छपी हुई पलंग की चद्दरों, पलंग के कवरों और तकिये के कवरों के विनिर्माण की प्रक्रिया ने निर्धारिती को रंगो का मिश्रण रंग मिलाने वाली मशीन की सहायता से किया जो कि शक्ति के प्रयोग से चलती थी। अतः निर्धारिती को शुल्क देने हेतु कहा गया और निर्धारिती पर शास्ति भी अधिरोपित की गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की अपील खारिज की।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

1. शब्द ''विनिर्माण'' जो कि धारा 2 (एफ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 में कथित किया गया है विनिर्मित उत्पाद को अंतिम रूप से तैयार करने में शामिल होने वाली सभी आनुशांगिक व सहायक प्रक्रियाओं को शामिल करता है। यह विवाद की किसी भी संभावना को दूर रखते हुए स्पष्ट करता है कि यदि शक्ति का प्रयोग जो संपादित किये जाने वाली बहुत सी प्रक्रियाओं के अधीन जिसमें की कच्चे माल को तैयार माल में बदलने हेतु शक्ति का प्रयोग होता है तो विनिर्माण शक्ति की सहायता से किया गया माना जायेगा। यदि शक्ति का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जाता है तो यह तर्क कि शक्ति का प्रयोग सम्पूर्ण विनिर्माण की प्रक्रिया में नहीं किया गया इसके सामान्य अर्थो में लेते हुए ऐसा नहीं माना जायेगा। उक्ति ''विनिर्माण में ''सामान्यतः वह समस्त प्रक्रिया शामिल है जो

कच्चे सामान को माल में परिवर्तित करने में होती है। यदि एक प्रक्रिया या गतिविधि वस्तुओं के अंतिम उत्पादन में इतनी एकीकृत रूप से जुडी हुई है कि उसके बिना वस्तु का विनिर्माण और प्रसंस्करण असंभव है या व्याणिजिक रूप से व्यर्थ है तो यह उक्ति '' के विनिर्माण मैं शामिल होगी। शब्द ''विनिर्माण'' केवल सामग्री के उपभोग को संदर्भित नहीं करता जो माल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और वास्तव में आवश्यक है। यह भी तय कानून है कि छूट का लाभ उठाने के लिए पक्षकार को छूट अधिसूचना का सख्ती से पालन करना होगा। इसीलिये अधिसूचना के शब्द सुसंगत हो जाते है। अधिसूचना ''निर्मित कपडा वस्तओं को केवल ''शक्ति की सहायता के बिना बनाये जाने पर'' छूट देती है। इन शब्दों का अर्थ है ''ऐसे विनिर्माण में जिसमें शक्ति का प्रयोग ना हो' इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि शब्द ''निर्मित'' केवल सूती कपडो से लेकर छपी चादरों, बिस्तर के कवर और तकिये के कवर के निर्माण चरण को संदर्भित करता है। (914-ई, एफ, जी, एच; 915-ए-बी)

सीसीई बनाम धवनी टेरेफैब्स (निर्यात) प्रा. लिमिटेड, (2001) 132 ईएलटी 604, सीसीई बनाम गारवेयर वॉल रॉप्स लिमिटेड (1999) 111 ईएलटी 498, सीसीई बनाम मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, (1998) 99 ईएलटी 241, दासानी इलेक्ट्रा (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई (2000) 125 ईएलटी 646, सीसीई बनाम हिमालयन कॉपरेटिव मिल्क

प्रोडेक्ट यूनियन लिमिटेड (2000) 8 एससीसी 642, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम देहली कॉटन एण्ड जनरल मिल्स, (1963) पूरक 1 एससीआर 586, जे.के. कॉटन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स बनाम एसटीओ, (1965) 1 एससीआर 900, उजागर प्रिन्टर्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1989) 3 एससीसी 488, सीसीई बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वकर्स (1991) 4 एससीसी 473 और सीसीई बनाम कमल केमिकल इण्डस्ट्रिज (1992) 61 ईएलटी 692, पर निर्भर था।

सीसीई बनाम एल्गी इक्विपमेन्टस लिमिटेड (2001) 9 एससीसी 601, संदर्भित।

2. यह देखना होगा कि क्या गतिविधि इतनी अभिन्न रूप से जुडी हुई है कि अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ प्रक्रिया के बिना अंतिम वस्तुओं का निर्माण असंभव या वाणिज्यिक रूप से अव्यवसायी है। यदि यह इतना अभिन्न रूप से जुडा हुआ है तो उस प्रक्रिया ''शक्ति की सहायता से बनाई गई'' अभिव्यक्ति में शामिल किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि शब्द ''शक्ति की सहायता से बने' केवल सामग्री या अंतिम निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को शामिल करते है। (915-डी, ई)

3. यह स्पष्ट है कि छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर बनाने की गतिविधि, स्क्रीन प्रिटिंग व रंग के साथ शुरू होती है। इस गतिविधि के बिना छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर

बनाना संभव नहीं है। छपाई व रंगाई की गतिविधि छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर के निर्माण से अभिन्न रूप से जुडी हुई है। जैसे कि नमक के निर्माण के लिए नमक के बर्तनों में नमक डालने की गतिविधि या चुने के निर्माण के लिए भटटे के सिर पर कच्चे माल को मंच से उठाने की गतिविधि। छपाई व रंग के बिना छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर का निर्माण असंभव है। ऐसे मामले में यह अप्रासंगिक है कि एक मध्यवर्ती चरण में कुछ अन्य उत्पाद शुल्क वस्तुएँ अस्तित्व में आती है। सूती कपडो का निर्माण छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर के निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में कोई गलती नहीं है जब यह कहा जाता है कि अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं है। (917-डी, ई, एफ)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3536/2000।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के एफ.ओ संख्या 22/2000-सी में ए. संख्या ई/ए 1998-सी का 1534 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.12.1999 से।

एस.के. बगारिया, श्रीमती इन्द्रा साहनी और सी.एन श्री कुमार अपीलार्थी की ओर से।

मोहर परासरण, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ए.सुब्बाराव, गौरव डिंगरा और पी. परमेश्वरन प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का न्याय निर्णय एस.एन वरयावा, जे. द्वारा दिया गया।

यह अपील दिनांक 27.12.1999 के सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण (संक्षेप में सीईजीएटी) नई दिल्ली के आदेश के खिलाफ की गई है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार है:

अपीलकर्ता अन्यों के साथ छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर के विनिर्माता है। इस अपील में हम इस प्रश्न से जुडे हुए है कि क्या अपीलार्थी अधिसूचना संख्या 65/87-सीई 01 मार्च 1987 के तहत छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर के निर्माण में छूट के हकदार है। ये वस्तुऐं टेरिफ आईटम 6301 के अंतर्गत आती है। जिसमें ''निर्मित कपडा वस्तुऐं' शामिल है। अधिसूचना के तहत इन सामग्रीयों पर शुल्क की ''शून्य'' दर है ''यदि निर्माण शक्ति की सहायता के बिना किया जाता है।'' अपीलार्थी द्वारा कोई लाईसेन्स नहीं लिया गया था और ना ही शुल्क अदा किया जा रहा था। अतः उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उनसे इन सामग्री पर शुल्क क्यों ना लिया जाये और क्यों ना शास्ति अधिरोपित की जाये। अपीलार्थी ने दावा किया कि उपरोक्त कथित

अधिसूचना में इस सामग्री पर ''शून्य'' शुल्क बनता है अतः वह शुल्क अदा करने हेतु दायी नहीं है। उनका मामला इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि छपी हुई चादर, बिस्तर के कवर व तकिये के कवर की निर्माण प्रक्रिया में वे रंगों का मिश्रण रंग मिश्रणकारी मशीन की सहायता से जो कि शक्ति की सहायता से संचालित होती है, से करते थे। इसीलिये उनको शुल्क अदा करने हेतु कहा गया और शास्ति अधिरोपित की गई। अपीलार्थी की अपील सीईजीएटी द्वारा विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई।

श्री बागरिया इंगित करते है कि ''बना हुआ'' वैधानिक रूप से धारा 11 के नोट 5 में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

> ''**5**. इस धारा के प्रयोजनार्थ 'बना हुआ' का अर्थ:
>
> (ए) वर्गाकार या आयताकार के अलावा अन्य प्रकार से काटे;
>
> (बी) तैयार अवस्था में उत्पादित, उपयोग के लिए तैयार (या केवल विभाजित भागों को काटकर अलग करने की आवश्यकता) बिना सिलाई व अन्य काम के (उदाहरण के लिए कुछ बिस्तर, तौलिये, टेबिल क्लॉथ, स्कार स्कवायर, कंबल);

(सी) हेम्ड या घुमावदार किनारों के साथ, या किसी भी किनारे पर गांठदार फ्रिंज के साथ लेकिन कपडे को छोडकर, जिनके कटे हुए किनारों को मोड से या अन्य सरल तरीकों से खोलने से रोका गया है;

(डी) आकार में कटौती एवं खींचे गये धागे की काम की प्रक्रिया से गुजरना;

(ई) सिलाई, गमिंग या अन्यथा द्वारा इकटठे किए गए (टुकडों में बने सामान के अलावा जिसमें दो या अधिक लम्बाई की समान सामग्री शामिल होती है जो अंत से अंत तक जुडी होती है और टुकडो में बने सामान दो या दो से अधिक वस्त्रो से बने होते है जो परतों में इकटठे होते है चाहे गद्देदार हो या नहीं);

(एफ) आकार देने के लिए बुना हुआ या क्रोकेटेड, लंबाई में कई वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया।''

उपर उल्लेखित धारा 11 के नोट 5 में दी गई वैधानिक परिभाषा पर निर्भर करते हुए, श्री बागरिया ने कथन किया कि ''निर्मित कपडा सामग्री इस प्रकार काटने, हेमिंग, सिलाई आदि प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। उन्होंने कथन किया कि इस प्रक्रिया में स्वीकृत रूप से शक्ति का प्रयोग

नहीं किया गया है। उन्होंने कथन किया कि रंगो का मिश्रण सूती/मुद्रित कपड़े तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है जो टेरिफ आईटम 52.06 और 52.07 के अंतर्गत आते है। उन्होंने कहा कि बिजली का उपयोग केवल उन वस्तुओं के निर्माण के लिए है। इसके समर्थन में वह अध्याय 52 के अध्याय नोट 2 पर निर्भर रहे जो इस प्रकार है:

> "**2.** शीर्षक संख्या 52.06 52.12 के उत्पादों के सम्बन्ध में। ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, प्रिटिंग, वाटर-प्रूफिंग, सिकुडन-प्रूफिंग, ऑर्गेन्डी प्रोसेसिंग या कोई अन्य प्रक्रिया या उनमें से कोई भी एक या अधिक प्रक्रिया 'निर्माण' के बराबर होगी।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि कपडों की छपाई की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से "निर्माण" के रूप में परिभाषित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया तथ्य यह है कि उन वस्तुओं पर भी (अन्य अधिसूचनाओं के तहत) शुल्क की दर "शून्य" है इस तथ्य से अलग नहीं है कि मुद्रण की प्रक्रिया एक अलग उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के लिए थी। उन्होंने कथन किया कि सूती/मुद्रित कपडों के निर्माण के बाद उन सूती/मुद्रित कपडों से बिजली की सहायता के बिना" "

उन्होंने कथन किया कि अधिसूचना "निर्मित कपड़ा वस्तुओं को "यदि शक्ति की सहायता के बिना बनाई गई है' शुल्क के भुगतान से छूट देती है।

उनका कहना है कि "निर्मित" शब्द का तात्पर्य "निर्मित कपडा सामग्री से है। उनका कहना है कि इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए इनपुट के चरण से आगे जाने के लिए रास्ता खुला नहीं है जो "निर्मित कपडा सामग्री" यानी कपडे के सूती/मुद्रित निर्माण में जाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के लाभ से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि सूती/मुद्रित कपडों के निर्माण की प्रक्रिया में शक्ति का उपयोग किया गया है।

श्री बागरिया ने सीईजीएटी के कई निर्णयों पर भरोसा किया जिनमें समान तथ्य शामिल थे जिनमें माना गया है कि ऐसी अधिसूचना के लाभ से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम ध्वनि टेरेफैब्स (निर्यात) प्राईवेट लिमिटेड 2001 (132) ईएलटी 604 के मामले में रिपोर्ट किया गया कि निर्धारिती बुने हुए कपडों के ढेर से तौलिये का निर्माण कर रहा था जो टेरिफ आईटम 60.01 के अंतर्गत आता था। निर्धारिती ने अपने कारखाने में शुल्क भुगतान किए गए प्रसंस्कृत कपड़े को प्राप्त किया, उन कपडों को आकार के अनुसार काटा और किनारों को सिलाई मशीन से सील दिया। विभाग को लगा कि अंतिम गतिविधि विनिर्माण के बराबर है और उस पर शुल्क की मांग की गई। अपीलकर्ताओं ने अधिसूचना 65/87 के लाभ का दावा किया था जिसे उन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि

कपडे बुनाई की गतिविधि पाईल बुनाई मशीन पर की गई थी। जिसमें बिजली का उपयोग किया गया था। सीईजीएटी ने माना कि बुनाई गतिविधि बुने हुए कपडो के निर्माण के लिए थी। जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था और टेरी तौलिए का निर्माण केवल हेमिंग और सिलाई द्वारा किया गया था जो शक्ति की सहायता के बिना किया गया था। सीईजीएटी ने माना कि इस प्रकार अधिसूचना का लाभ नहीं खोया गया।

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, पुणे बनाम गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड के मामले में (1999) में रिपोर्ट की गई (111) ईएलटी 498 सीईजीएटी, दिल्ली ने माना है कि कच्चे माल के निर्माण में शक्ति के उपयोग को रस्सियों की वस्तुओं के निर्माण के लिए नहीं माना जाएगा, जिस प्रक्रिया में शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। सीईजीएटी ने माना कि इन परिस्थितियों में, ऐसी अधिसूचना का लाभ समाप्त नहीं होगा।

(1998) 99 ईएलटी 241 सीईजीएटी में रिपोर्ट किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स के मामले में, मद्रास ने माना है कि निर्धारिती, जो टेरी तौलिए का निर्माण कर रहा था, अधिसूचना के लाभ से वंचित नहीं था क्योंकि टेरी टॉवलिंग कपडे को काटने और टावर के किनारों को सिलाई करके उन्हें वस्त्रों के बने सामानों में बदलने के लिए किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था। सीईजीएटी ने माना है कि केवल इसलिए कि प्रारंभिक

चरण में कपडे को ब्लीचिंग, रंगाई आदि किया गया है और उस चरण में शक्ति का उपयोग किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिसूचना का लाभ खो जाएगा।

(2000) 125 ईएलटी 646 सीईजीएटी में रिपोर्ट किए गए दासानी इलेक्ट्रा (पी) लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेन्टल एक्साईज, कलकता प्रथम के मामले में, कलकता ने माना है कि छूट का लाभ उन जनरेटर सेटो पर नहीं खोया जाएगा जो कि शक्ति की सहायता के बिना निर्मित है केवल इसलिए कि बिजली का उपयोग उसके इनपुट यानी अल्टरनेटर के निर्माण में किया जाता है। यह माना जाता है कि इनपुट का निर्माण एक अलग पृथक गतिविधि होगी और इनपुट पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त प्राधिकारिताओं पर भरोसा करते हुए श्री बगारिया ने कहा कि वर्तमान मामले में भी रंगाई ''निर्मित कपडा वस्तुओं'' के निर्माण के लिए नहीं की गई थी, बल्कि सूती कपडों के निर्माण के लिए की गई थी, जो एक अलग उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल इस तथ्य से कि उस वस्तु को भी शुल्क से छूट दी गई थी कोई फर्क नहीं पडता और इस प्रकार अधिसूचना का लाभ नहीं खोया गया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना का उददेश्य छूट का लाभ देना था और इस उददेश्य को अधिसूचना की व्याख्या करके उस तरीके से विफल नही किया जाना

चाहिये जो अधिसूचना के सपाट पढने से पता नहीं चलता है। इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में उन्होने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर एवं अन्य बनाम हिमालयन कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटेड और अन्य (2000) 8 एससीसी 642 के मामले पर भरोसा किया। श्री बगारिया ने कहा कि विवादित निर्णय को रदद करने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर श्री परासरन ने कहा कि अपीलकर्ता निर्माण की एक सतत प्रक्रिया जारी रखते है। उन्होंने कहा कि ''निर्मित कपडा वस्तुओ'' के निर्माण के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता रोल में पीवीसी शीट खरीदते है, उन्हे छोटे आयताकार आकार में काटते है और उन्हें मुद्रित करते है। उन्होने बताया कि मुद्रण की प्रक्रिया में वे शक्ति की सहायता से रंग मिलाते है और तब अपीलकर्ता मुद्रित शीटस को मोडते एवं सीलते है और बिस्तर की चादरे, बिस्तर के कवर और तकिये के कवर का निर्माण करते है। उन्होने कहा कि यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि बिस्तर की चादरें, बिस्तर के कवर और तकिये के कवर शक्ति की सहायता से नहीं बनाये गये थे। उन्होने कहा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि ''निर्माण'' शब्द में सभी चरण और सभी प्रक्रियायें शामिल होगी जो अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक है।

अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में उन्होने (1963) में रिपोर्ट किए गए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स पूरक 1

एससीआर 586 के मामले पर भरोसा किया। इस मामले में निर्धारिती वनस्पति का निर्माण कर रहा था। एक मध्यवर्ती चरण में तेल जिसके बारे में राजस्व ने दावा किया था कि वह परिष्कृत तेल था, का निर्माण किया गया था। सवाल यह था कि क्या वे रिफाइंड तेल के निर्माण पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की पहली अनुसूची के मद संख्या 23 के अंतर्गत आता था, जिसमें ''वनस्पति गैर-आवश्यक तेल, सभी प्रकार के, या में' का वर्णन था। जिसके निर्माण के संबंध में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतः शक्ति की सहायता से की जाती है' इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) में ''विनिर्माण'' शब्द की परिभाषा में केवल प्रसंस्करण शामिल है। इस न्यायालय ने माना कि प्रसंस्करण विनिर्माण से अलग है और किसी वस्तु के उत्पाद शुल्क योग्य होने के लिए उसे बाजार में ज्ञात नया उत्पाद होना चाहिए। हालांकि इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "धारा 2 (एफ) के अनुसार ''विनिर्माण'' की परिभाषा इसे विवाद की किसी भी संभावना से परे रखती है कि यदि कच्चे माल को बाजार में ज्ञात तैयार वस्तु में बदलने के लिए आवश्यक कई प्रक्रियाओं में से किसी एक के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है तो खंड लागू होगा; और

यह तर्क कि शब्द का सामान्य अर्थ में उपयोग करते हुए निर्माण की पूरी प्रक्रिया में शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, उपलब्ध नहीं होगा।''

इन टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए श्री परासरन ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा यह माना गया है कि यदि कई प्रक्रियाओं में से किसी एक के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है तो इसका विनिर्माण शक्ति की सहायता से किया जाएगा और यह बहस करने के लिए खुला नहीं होगा कि इसका कोई विनिर्माण नहीं होता है जैसा कि इसके सामान्य अर्थ में समझा जाता है।

श्री परासरन ने जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स बनाम सेल्स टेक्स ऑफिसर, कानपुर एवं अन्य के मामले में जो (1965) 1 एससीआर 900 में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय की तीन जजों की बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया। इस मामले में निर्धारिती कपडा सामान, टाइल्स और अन्य वस्तुओं के विनिर्माण का व्यवसाय कर रहा था। इसने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया और अनुरोध किया कि अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से कुछ वस्तुओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाए। नियम 13 के साथ पठित धारा 8 (3) (बी) के आधार पर यह लाभ केवल उन वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध था जो ''बिक्री के लिए वस्तुओं के

निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए थी।'' प्रारंभ में निर्धारिती को उनके द्वारा दावा किए गए सामान के संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया था। हालांकि बाद में कुछ सामान जैसे डाइंग सामग्री, फोटोग्राफिक सामग्री, निर्माण सामग्री जिसमें चूना व सीमेन्ट और स्टील व कोयला थे को हटा दिया गया। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या इन सामग्रियों को माल के निर्माण या माल के बिक्री हेतु प्रसंस्करण में उपयोग के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि ''निर्माण या प्रसंस्करण'' का क्या मतलब है। इस प्रश्न पर विचार करते समय इस न्यायालय ने माना कि ''निर्माण में'' अभिव्यक्ति आम तौर पर कच्चे माल को माल में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया को शामिल करेगी। यह माना गया था कि यदि कोई प्रक्रिया या गतिविधि वस्तुओं के अंतिम उत्पादन से इतनी अभिन्न रूप से जुडी हुई है कि उसके बिना निर्माण या प्रसंस्करण असंभव या व्यावसायिक रूप से उपादेय नहीं है तो उस प्रक्रिया में आवश्यक वस्तुओं को ''के निर्माण की इस अभिव्यक्ति में शामिल किया जाएगा। यह माना गया कि यह आवश्यक नहीं है कि ''के निर्माण में' शब्द केवल वास्तविक निर्माण में प्रयुक्त सामग्री या वस्तुओं को संदर्भित करेगा। यह माना गया कि "निर्माण में'' शब्द केवल उन सामग्रियों को संदर्भित नहीं करते है जो सामान बनाने के लिए सीधे और वास्तव में आवश्यक है।

श्री परासरन ने उजागर प्रिंटर्स और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य जो (1989) 3 एससीसी 488 में रिपोर्ट किया गया, के मामले पर भी भरोसा किया। इस मामले मे एक सवाल यह था कि क्या कपास या मानव निर्मित ग्रे कपडों के संबंध में ब्लीचिंग, रंगाई, छपाई, आकार, सिजिंग, सिकुइन प्रूफिंग आदि की प्रक्रिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 2 (एफ) के प्रयोजनों के लिए निर्माण के बराबर है और उसके अर्थ के अंतर्गत धारा 2 (एफ) को तब इस प्रकार पढा जाता थाः

> ''2(एफ) 'निर्माण' में किसी निर्मित उत्पाद के पूरा होने के लिए प्रासंगिक या सहायक कोई भी प्रक्रिया शामिल है; और..''

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कानून पर विचार करने के बाद माना कि ऐसी गतिविधि उक्त अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के तहत निर्माण के बराबर है।

कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, जयपुर बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना राजस्थान रिपोर्टेड (1991) 4 एससीसी 473 के मामले पर भी भरोसा किया गया था। इस मामले में यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या इसमें दो निर्धारिती अधिसूचना के अन्तर्गत छूट के हकदार थे। इस अधिसूचना में उन वस्तुओं के लिए छूट

उपलब्ध नहीं थी ''जिनके निर्माण में या उनके संबंध में आमतौर पर शक्ति की सहायता से कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है'' उसमें से एक निर्धारिती ने सामान्य नमक का निर्माण किया। सामान्य नमक के निर्माण के लिए, नमकीन पानी को डीजल पंप का उपयोग करके नमक के बर्तनों में डाला जाता था और फिर शक्ति की सहायता से एक प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता था। सवाल यह था कि क्या शक्ति की सहायता से पंपिंग और लिफिटंग विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रक्रियाओं का गठन करती है। दूसरा निर्धारिती कोक और चूना पत्थर से चूना बना रहा था। कच्चे माल को शक्ति की सहायता से भटठे के शीर्ष पर एक मंच पर उठाया गया। सवाल यह था कि क्या शक्ति की सहायता से उठाने की गतिविधि विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रक्रिया का गठन करती है। इस न्यायालय ने यहा ऊपर दिये गये इस न्यायालय की पूर्ववर्ती अधिकारिताओं पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> ''20. एक प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया है जब यह पूरे घटकों के लिए एक पूर्ण परिवर्तन लाती है ताकि व्यावसायिक रूप से अलग वस्तु या सामग्री का उत्पादन किया जा सके। लेकिन, उस प्रक्रिया में स्वयं कई प्रक्रियाएं शामिल हो सकती है जो कुछ मध्यवर्ती चरण में परिवर्तन ला भी सकती है और नहीं भी। लेकिन गतिविधियां या संचालन

इतने अभिन्न रूप से जुडे हो सकते हैं कि अंतिम परिणाम के अधीन व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन होता है। इसलिये, कोई भी गतिविधि या संचालन जो आवश्यक आवश्यकता है और आगे के संचालन से संबंधित है अंतिम परिणाम भी छूट अधिसूचना में प्रासंगिक खंड को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण में या उसके संबंध में एक प्रक्रिया होगी। हमारे विचार मे निर्माण के संबंध में 'प्रक्रिया शब्द जिस संदर्भ में उपरोक्त अधिसूचना में दिखाई देता है उसमें एक संचालन या गतिविधि शामिल है।''

26. इसलिए, हमारा विचार है कि यदि निर्माण के दौरान कोई भी संचालन आगे के संचालन से एकीकृत रूप से जुडा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं का उदभव होता है और ऐसा संचालन शक्ति की सहायता से किया जाता है, तो निर्माण के या प्रक्रिया के संबंध में इसे शक्ति की सहायता से किया गया माना जाना चाहिए। इस मामले में हम इस दृष्टिकोण में, इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि नमक के बर्तनों में नमक की पंपिंग या शक्ति की सहायता से कोक और चूना पत्थर उठाने से कच्चे माल में कोई बदलाव नहीं आता है, इस मामलें को अधिसूचना से

बाहर नहीं किया गया है। इन मामलों में अधिसूचना के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।''

कलेक्टर ऑफ सेन्टल एक्साईज बनाम कमल केमिकल इंडस्टीज रिपोर्टेड (1992) 61 ईएलटी 692 के मामले पर भी भरोसा किया गया। इस मामले में भी, कच्चे माल को संभालने के लिए यानी टेंकरों से ओवरहेड टेंकों में एसिड स्थानांतरित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया गया है। यह माना गया कि यह गतिविधि विनिर्माण से संबंधित प्रक्रिया का हिस्सा थी और इस प्रकार अधिसूचना का लाभ खो जाएगा।

उपरोक्त प्राधिकारिताओं के आधार पर, श्री परासरन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि इस बात पर विचार करते हुए कि क्या ''कपडों से बने हुऐ'' शक्ति की सहायता से बनाये/निर्मित किए जाते हैं, कोई भी अंतिम उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया को विच्छेदित या विभाजित नहीं कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत कि, ऐसे मामलों में जहां प्रक्रिया निरंतर और एकीकृत है, यह बात अप्रासंगिक है कि मध्यवर्ती चरण में एक ओर उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद अस्तित्व में आया है।

इन प्राधिकारिताओं का सामना करते हुए श्री बगारिया ने प्रस्तुत किया कि ये प्राधिकारिताएँ उन मामलों के तथ्यों पर और विचार किये जा रहे बहुत व्यापक शब्दों के आधार पर है। ''जिसके निर्माण में या उसके संबंध में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतः शक्ति की सहायता से नहीं की जाती

है'' उन्होनें प्रस्तुत किया कि ''बनाया'' शब्द में पूरी प्रक्रिया शामिल नहीं है, बल्कि केवल सूती कपडो से मुद्रित बेडशीट, बेड कवर और तकिया मामलों के निर्माण को संदर्भित करता है।

हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह उल्लेखित किया जाना चाहिए कि शुरूआत में हम श्री बागरिया की दलीलों से प्रभावित हुए थे। हालांकि हम पाते है कि इस न्यायालय की प्राधिकारीताओं जिन पर श्री परासरन ने भरोसा किया है कि धारा 2 (एफ) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में ''निर्माण'' में निर्मित उत्पाद के पूरा होने से जुडी कोई भी आकस्मिक या सहायक प्रक्रिया शामिल है। यह तय किया गया कि यह इसे विवाद की किसी भी संभावना से परे रखता है कि यदि कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलने के लिए आवश्यक कई प्रक्रियाओं में से किसी एक के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है तो निर्माण बिजली के उपयोग के साथ हुआ यह माना गया है। यह माना गया है कि यदि किसी भी स्तर पर बिजली का उपयोग किया जाता है तो यह तर्क कि निर्माण की पूरी प्रक्रिया में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है शब्द को उसके सामान्य अर्थ में उपयोग करने पर उपलब्ध नहीं होगा। यह माना गया है कि अभिव्यक्ति ''निर्माण मैं आम तौर पर कच्चे माल को माल में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया को शामिल करेगी। यह माना गया है कि यदि कोई प्रक्रिया या गतिविधि माल के अंतिम निर्माण के लिए

इतनी अभिन्न रूप से जुडी हुई है कि उस प्रक्रिया के बिना किसी भी वस्तुओं का निर्माण या प्रसंस्करण असंभव या व्यावसायिक रूप से उपादेय नहीं है तो उस प्रक्रिया में आवश्यक वस्तुओं को अभिव्यक्ति ''निर्माण मैं में शामिल किया जाएगा। यह माना गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि ''निर्माण'' शब्द केवल उस चरण को संदर्भित करेगा जिस पर अंतिम उत्पाद के वास्तविक निर्माण में सामग्री या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। माना गया है कि "निर्माण'' शब्द का तात्पर्य केवल उन सामग्रियों के उपयोग से नहीं है जो सामान बनाने के लिए सीधे और वास्तव में आवश्यक है। ये प्राधिकारीतायें हम पर बाध्यकारी है। यह भी स्थापित कानून है कि छूट का लाभ उठाने के लिए पक्षकार को छूट अधिसूचना का सख्ती से पालन करना होगा। इसलिए अधिसूचना की शब्दावली प्रासंगिक हो जाती है। अधिसूचना ''निर्मित कपडा वस्तुऔं को केवल ''यदि शक्ति की सहायता के बिना बनाई गई हो' पर छूट देती है। इन शब्दों का मतलब वही है जो ''जिसके निर्माण में किसी शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है।'' हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि ''बनाया' शब्द केवल सूती कपडों से लेकर मुद्रित बेडशीट, बेड कवर और तकिया कवर तक के निर्माण के चरण को संदर्भित करता है। श्री बगारिया द्वारा भरोसा किए गए अध्याय नोटस केवल यह निर्दिष्ट करते है कि उनमें उल्लेखित गतिविधिया निर्माण (बनाई गई) के बराबर है। अध्याय नोटस उन तर्को को खत्म करने के लिए रखे गए है कि वे गतिविधियां निर्माण के बराबर नहीं

है। वे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को बाधित या प्रभावित नहीं करते है। ऐसे सभी मामलों में यह देखना होगा कि कौन से उत्पाद बनाए जा रहे है। जहाँ गतिविधि/व्यवसाय अंतिम वस्तु के निर्माण का है और जहां एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पडता कि किसी मध्यवर्ती स्तर पर एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु अस्तित्व में आई है। यहां जो देखना है वह यह है कि क्या गतिविधि अंतिम वस्तुओं के उत्पादन से इतनी अभिन्न रूप से जुडी हुई है कि उस प्रक्रिया के बिना अंतिम वस्तुओं का निर्माण असंभव है या व्यावसायिक रूप से उपादेय नहीं है। यदि यह इतना अभिन्न रूप से जुडा हुआ है तो यह प्रक्रिया ''बिजली की सहायता से निर्मित'' अभिव्यक्ति में शामिल की जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि शब्द ''बिजली की सहायता से निर्मित'' अभिव्यक्ति में केवल अंतिम निर्माण में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री या वस्तुओं को संदर्भित किया जाये।

आईए अब हम अपीलकर्ताओं द्वारा अंतिम उत्पाद तैयार करने हेतु उपयोग की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया को देखे। उदाहरण ''निर्मित वस्त्र, वस्तुएँ'' न्यायाधिकरण ने इस गतिविधि को निम्नानुसार निर्धारित किया है।

"3 बिस्तर की चादरें, बिस्तर के कवर और तकिये के कवरः

श्री प्रदीप थापर ने इन वस्तुओं की विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में 04.06.93 को दर्ज किए गए अपने बयान में बताया हैः

‘‘शीटिंगः शीटों को मेज पर रखा जाता है, जिसके बाद मानवीन रूप से कलर व डिजाइन के अनुसार स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। हर रंग के लिए एक अलग स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। यह स्क्रीन हमारे परिसर में डिजाईन और बनाई जाती है। डिजाइन के मुद्रित होने के बाद, शीटिंग को टेबल से हटाकर बिन मे डाल दिया जाता है। एक निश्चित मात्रा (शीटों) की जमा होने पर उसे स्टीमिंग के लिए रखा जाता है। यह स्टीमिंग कोयले या गैस द्वारा पानी को गर्म करके की जाती है।

3. रंगो को पेस्ट में मिलाया जाता है और पानी से पतला किया जाता है जिससे की प्रत्येक रंग को प्रत्येक स्क्रीन के माध्यम से मुद्रित किया जा सके। यदि मात्रा कम है, तो हम रंग को हाथ से मिलाते हैं, अन्यथा 25 किलोग्राम की बडी मात्रा के साथ मिक्सर के साथ मिलाया जाता है जिससे की उचित मिश्रण प्राप्त हो सके। मिक्सर को बिजली की सहायता से चलाया जाता है। चूंकि हमारे परिसर मेे

बिजली नहीं है तो अपने कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए दो जनरेटरों को चालू-बंद करके चलाते है। हमारे जनरेटर की क्षमता 6.5 एचपी और 25 केवीए है। 8 घंटे की एक पारी में इसे प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे तक संचालित किया जाता है। हमारी डीजल की औसत खपत लभगग 1.5 से 2.5 लीटर प्रति घंटा है। हमारे पास मुद्रण प्रयोजनों के लिए टेबल है जिनका आकार 17 मीटर लंबाई (2 टेबल) और 13 मीटर (2 टेबल) है। हमारी शीट की लंबाई और चौडाई बाॅम्बे डाइंग शीट के समान है । यह लगभग 89 × 100 सेमी है। तकिए के कवर पहले से छपी हुई चादरों को काटने के बाद बनाये जाते हैं, जो खुली हवा में लटकाकर प्राकृतिक रूप से सुखाये जाते है। शीटों की कटाई मानवीय रूप से की जाती है। स्क्रीन निम्नलिखित तरीके से बनाई जाती हैः

4. स्क्रीन जो कि फोटो इमल्शन से ढके होते है और जिन्हें टयूबलाईट में अनावरित किया जाता है, बिजली की सहायता से उदाहरण जनरेटर। जिस समय बिजली नहीं होती है, तो स्क्रीन को सूरज की रोशनी में अनावरित किया जाता है।

5. अपीलकर्ताओं के श्री गंगा राम कलर मास्टर ने कहा है कि इकाई थानों में सादा कपडा प्राप्त कर रही थी और उसके बाद उसे काटकर छपाई के लिए टेबल पर रख दिया जाता था; स्क्रीन की संख्या रंगों की संख्या के बराबर थी; तौलिए विभिन्न आकारों में सेट में प्राप्त किये जा रहे थे उदाहरण मध्यम, बडे आदि और उसके बाद उन्हें शीट की तरह ही मुद्रित किया जाता था; फिर उन्हे खुली हवा में सुखा दिया जाता था; कपडा सूखने के बाद उन्होंने भाप में भापित किया जाता था जो कि उत्पन्न की जाती थी कोयले या गैस की सहायता से। उसके बाद सिलाई, दबाने/स्त्री और पैकिंग का कार्य किया जाता था। थानों में प्राप्त पीवीसी शीट को पहले काटा जाता था और उसके बाद टेबलों पर मुद्रित कर पैक किया जाता था। श्री गंगा राम ने यह भी कहा कि रंग का मिश्रण शक्ति की सहायता से और मानवीय रूप से भी किया जाता था। आगे उन्होंने बताया कि फ्रेम को करीब 2-1/2 मिनट तक टयूबलाईट में अनावरित किया जाता था।"

6. अपीलकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे चादरें, बेड कवर या तकिये के कवर का निर्माण नहीं करते हैं क्योंकि वे किनारों की सिलाई की प्रक्रिया नहीं करते है और किनारों

की सिलाई के बाद ही चादरे बिस्तर की चादरों और तकिये के कवर में परिवर्तित होती है। इसके अलावा श्री गंगाराम के बयान के प्रकाश में जिसमे उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिलाई अपीलकताओं के कारखाने में की गई थी और तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में कि चादरे लगभग 89 × 100 सेमी के निश्चित आकार में काटी गई, जिसे श्री प्रदीप थापर द्वारा स्वीकार किया गया है। ये शीटें मैसर्स बाॅम्बे डाइंग द्वारा निर्मित शीटों के समान है। हम मानते है कि अपीलकर्ता इन वस्तुओं का निर्माण करते है और उनका बाद का अनुरोध कि वे जाॅब वर्क पर कपडे की शीट और अन्य निर्मित वस्तुओं में काट रहे थे, एक बाद का विचार है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।''

यह बिल्कुल भी विवादित नहीं है कि यह विनिर्माण प्रक्रिया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शुरू में यह तर्क दिया गया था कि सिलाई जाॅब वर्क के आधार पर कराई जाती थी। यह तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया और हमारे समक्ष इस दलील का आग्रह भी नहीं किया गया। उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि मुद्रित बेडशीट, बेड कवर और तकिये के कवर के निर्माण की गतिविधि स्क्रीन प्रिटिंग और रंग से शुरू होती है। इस गतिविधि के बिना मुद्रित बेडशीट, बेड कवर और तकिया कवर बनाना

संभव नही होगा। मुद्रण और रंगाई की गतिविधि मुद्रित बेडशीट, बेड कवर व तकिये के कवर के निर्माण से अभिन्न रूप से जुडी हुई है। बजाय इसके कि नमक के निर्माण के लिए नमकीन पानी को नमक के पैन में पंप करने की गतिविधि या चूना बनाने के लिए कच्चे माल को भटटी के सिर तक उठाने की गतिविधि। बिना मुद्रण एवं रंगाई के यह असंभव है कि मुद्रित बेडशीट, बेड कवर व तकिये के कवर का निर्माण किया जाये। ऐसे मामलों में यह अप्रासंगिक है कि मध्यवर्ती चरण में कोई अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु अस्तित्व में आती है। सूती कपडों का निर्माण मुद्रित बेडशीट, बेड कवर और तकिया कवर के निर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार हम आक्षेपित निर्णय में कोई कमजोरी नहीं देखते है जब यह मानता है कि अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं है।

श्री बागरिया ने आगे कहा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्धिनियम की धारा 11 एसी के तहत जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह धारा 28 सितम्बर 1996 से ही लागू की गई थी। उन्होने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कोयंबटूर बनाम एल्गी इक्विपमेटस लिमिटेड के मामले पर भरोसा किया जो कि (2001) 9 एससीसी 601 में रिपोर्ट किया गया और प्रस्तुत किया गया कि यह माना गया है कि यह धारा केवल भविष्यवर्ती रूप से लागू होती है ना कि भूतलक्षी रूप से। उन्होने कहा कि इस प्रकार जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। हमने पाया कि न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा

कोई मुददा नहीं उठया गया था और ना ही इस न्यायालय के समक्ष अपील के ज्ञापन में भी ऐसा कोई मुददा उठाया गया है। किसी भी घटना में निर्णय 1998 में हुआ था उस समय धारा 11 एसी कानून की किताब में थी।

अतः हमें अपील मे कोई सार नजर नहीं आता। अतः इसे खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यशवन्त भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।